[2022] 3 एस. सी. आर 842

कर्मचारी राज्य बीमा

निगम और ओआरएस।

वी.

मेसर्स की डी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2022 की सिविल अपील संख्या 4159)

19 मई, 2022

[के. एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948: एस. 1 (3) - की व्याख्या के तहत 21.07.1999 दिनांकित अधिसूचना जारी करना तारापुर में स्थित प्रत्यर्थी की स्थापना, यदि दिनांक 21.07.1999-आयोजित अधिसूचना द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के भीतर शामिल हैः

केंद्र सरकार द्वारा जारी ई. एस. आई. अधिनियम-अधिसूचना दिनांक 21.7.1999 के दायरे में आने वाले प्रत्यर्थी का प्रतिष्ठान उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है जिन पर ई. एस. आई. अधिनियम लागू किया गया है और उल्लेखनीय रूप से यह कहने के अलावा कि यह सिलचर नगर निगम के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होता है, यह विशेष रूप से तारापुर गांव सहित अतिरिक्त क्षेत्रों/गांवों के नाम देता है, जहां प्रत्यर्थी का कारखाना स्थित है-इस प्रकार, अधिसूचना का विस्तार सिलचर नगर निगम की सीमा से परे के क्षेत्रों तक होगा।

-यदि ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे का क्षेत्र प्रतिबंधात्मक होना था,

उक्त अधिसूचना में नाम से अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी-अधिसूचना में तारापुर गांव के नाम का दो बार उल्लेख किया गया है-अधिसूचना में "सहित" शब्द का उपयोग विस्तार के शब्द के रूप में किया जाता है, ताकि ई. एस. आई. अधिनियम के क्षेत्रीय अनुप्रयोग को व्यापक बनाया जा सके-अधिसूचना केवल "सिलचर नगर निगम बोर्ड के तहत क्षेत्र" तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सिलचर के तहत आने वाले क्षेत्रों के अलावा इसमें उल्लिखित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

नगरपालिका बोर्ड-उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि चूंकि ग्राम तारापुर, जहां प्रतिवादी का कारखाना स्थित है, सिलचर की नगरपालिका सीमाओं के बाहर आता है, इसलिए प्रतिवादी की स्थापना अधिसूचना के दायरे में नहीं आती है, इस प्रकार, उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।

क़ानूनों की व्याख्याः यू/एस द्वारा जारी अधिसूचना। 1 (3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948-व्याख्या के सिद्धांत

- आयोजित किया गयाः अधिसूचना एक सांविधिक अधिसूचना होने के कारण, अधीनस्थ विधान की व्याख्या के सिद्धांत लागू होते हैं-यदि शब्द

842 कर्मचारी राज्य बीमा निगम और ओआरएस। वी. मेसर्स की डी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड।

उपयोग किए गए स्पष्ट हैं, व्याख्या का मुख्य सिद्धांत है यह प्रभाव विषय अधिसूचना में प्रत्येक शब्द पर दिया जाना चाहिए।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 केंद्र सरकार द्वारा जारी 21.7.1999 अधिसूचना उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है जिन पर कर्मचारी राज्य करते हैं।

बीमा अधिनियम, 1948 को लागू और महत्वपूर्ण रूप से अलग किया गया है।

यह समझने के लिए कि अधिसूचना का विस्तार सिलचर नगर निगम की सीमा से परे के क्षेत्रों में होगा। यदि ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे का क्षेत्र प्रतिबंधात्मक होना था, तो उक्त अधिसूचना में अन्य क्षेत्रों के नाम का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। तार्किक व्याख्या यह होगी कि तारापुर के पूरे गाँव क्षेत्र को कवरेज के लिए अधिसूचित किया जाता है क्योंकि अधिसूचना में तारापुर गाँव का नाम दो बार उल्लेख किया गया है। इसके महत्व को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। [पैरा 15] [852 डी-एफ] 1.2 ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 (3) के तहत जारी अधिसूचना एक वैधानिक अधिसूचना है और इसे इस रूप में माना जाना चाहिए

कानून का एक हिस्सा, निर्माण के उद्देश्यों और उससे उत्पन्न होने वाले दायित्वों दोनों के लिए, जैसे कि वे अधिनियम में निहित हैं। अधीनस्थ की व्याख्या के सिद्धांत

ऐसी वैधानिक अधिसूचना की व्याख्या के लिए कानून लागू होते हैं। यदि उपयोग किए गए शब्द असंदिग्ध हैं, तो व्याख्या का मुख्य सिद्धांत यह है कि विषय अधिसूचना में प्रत्येक शब्द को प्रभाव देना होगा। एक व्याख्या है कि वैधानिक अधिसूचना का उद्देश्य केवल उन क्षेत्रों को शामिल करना था जो सिलचर नगर निगम बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

आक्षेपित निर्णय में निर्णय लेने का अर्थ होगा कि अधिसूचना में विशेष रूप से उल्लिखित अन्य सभी क्षेत्र, जो हैं -

अन्यथा, सिलचर नगर निगम की सीमाओं से परे, वैधानिक अधिसूचना के दायरे से बाहर रखा जाएगा। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो अधिसूचना के प्रत्येक शब्द को पूर्ण प्रभाव देने के व्याख्या के मूल सिद्धांत से विचलन होगा। [पारस 16,17] [852-एफ-एच] [2022] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी कर्मचारी संघ, सिकंदराबाद बनाम। सहकारी समितियों और अन्य के पंजीयक। (1998) 2 एससीसी 580: [1998] 1 एस. सी. आर. 85; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम। पांडरिनाथन गोविंदराजुलु और अन्र। (2021) 6

एस. सी. सी. 693 संदर्भित है।

1.3 केंद्र सरकार की अधिसूचना में सिलचर नगर निगम बोर्ड की सीमा से परे कई क्षेत्रों का संदर्भ दिया गया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि तारापुर का संदर्भ दो बार दिया गया है, पहला सिलचर नगर निगम के संदर्भ में और दूसरा मौज़ा-बराकपुर के संदर्भ में। ऊधरबंड राजस्व सर्कल (सिलचर नगर निगम की सीमा के बाहर) और इसी तरह रामनगर, जो बराकपुर (जिसमें सिलचर शहर शामिल है) से अलग एक अन्य राजस्व इकाई है, के संदर्भ से पता चलता है कि केंद्र सरकार का इरादा था ई. एस. आई. अधिनियम के संचालन का विस्तार सिलचर नगर निगम की सीमा से परे के क्षेत्रों में करना। संबंधित प्रतिष्ठान तारापुर भाग III में स्थित है जो इसके अंतर्गत आता है।

बराकपुर, जो अन्यथा सिलचर नगरपालिका क्षेत्र के बाहर है। उल्लेखनीय है कि अधिसूचना में मौज़ा-बराकपुर नाम का उल्लेख किया गया है। सिलचर नगर निगम की सीमा के भीतर छोटे क्षेत्रों में ई. एस. आई. अधिनियम को लागू करने के लिए अधिसूचना की उच्च न्यायालय की संकुचित व्याख्या नहीं हो सकती है।

स्वीकार कर लिया। [पैरा 18] [853-डी-एफ]

1.4 जिस अधिसूचना का स्पष्ट रूप से बेहतर मसौदा तैयार किया जा सकता था, वह कई अल्पविराम द्वारा विरामित है। यह सुझाव देता है

कि विराम चिह्नों के बाद उल्लिखित क्षेत्रों को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए और सिलचर नगर निगम के संदर्भ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए जो अधिसूचना में उल्लिखित पहला क्षेत्र है। जब यह न्यायालय विराम चिह्न को देखता है

दिनांकित 21.7.1999 अधिसूचना में निशान, और उसके बाद जो होता है, वह यह है कि अधिसूचना का उद्देश्य सिलचर नगर निगम के भीतर के क्षेत्रों से परे कई क्षेत्रों को शामिल करना है। द.

ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 (3) के तहत जारी अधिसूचना, शुरू में सिलचर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू होने के बाद

सिलचर राजस्व मंडलों के भीतर, उल्लेखनीय रूप से "सम्मिलित" शब्द का उपयोग किया जाता है जो अधिसूचना के लेखक के इरादे का सुझाव देता है, ताकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम और ओआरएस से परे कवरेज क्षेत्र का विस्तार किया जा सके।

वी. मेसर्स की डी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड।

सिलचर नगर निगम की सीमाएँ। "सम्मिलित" शब्द के बाद विशेष रूप से उल्लिखित अन्य क्षेत्रों का सुझाव होगा कि ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कवरेज का क्षेत्र, सिलचर नगर निगम की क्षेत्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। द.

उच्च न्यायालय ने वैधानिक अधिसूचना के आवेदन को सिलचर नगर निगम की सीमाओं तक सीमित कर दिया, जो इसका तात्पर्य यह है कि "सम्मिलित" से परे उल्लिखित अन्य सभी क्षेत्रों को ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की यह मंशा नहीं हो सकती थी। [पैरा 19,22] [853]

जी-एच; 854-बी-डी; 855-सी-डी]

रमनलाल भाईलाल पटेल और अन्य। वी. गुजरात राज्य

(2008) 5 एससीसी 449: [2008] 2 एससीआर 468; भारत संघ और एएनआर। वी. हंसोली देवी और ओआरएस। (2002) 7 एससीसी 273: [2002] 2 पूरक। एस. सी. आर. 324; डॉ. एम. के. साल्पेकर बनाम। सुनील कुमार शमसुंदर चौधरी और अन्य। (1988) 4 एससीसी

21 - संदर्भित किया गया।

1.5 प्रत्यर्थी ने ई. आई. अदालत में कारणदर्शक नोटिस को चुनौती देते हुए कारखाने के कर्मचारियों को भी शामिल करने में विफल रहा।

कार्यवाही में पक्षकार। यह दलील कि आवश्यक पक्षों के गैर-सहयोगी के लिए, प्रतिवादी के कहने पर कार्यवाही कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं होगी, विशेष रूप से द्वारा उठाई गई थी उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी लेकिन इसे इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि इस मुद्दे को निचली अदालत के समक्ष उठाया जाना चाहिए था। इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मामला 17.9.2009 पर दिया गया था, जबकि अपीलार्थियों के पक्ष में निर्णय EI अदालत द्वारा बहुत पहले 21.6.2006 पर दिया गया था। इसलिए, अपीलार्थियों के लिए, संबंधित कर्मचारियों के गैर-पक्षपाती होने के लिए, प्रत्यर्थी की कार्यवाही की गैर-स्थिरता पर बहस करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के बाद के फैसले में अनुपात पर भरोसा करना असंभव होता। [पारस 24,27] [855-एफ-जी; 857-जी-एच; 858-ए-बी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और अन्न। (2009) 10 एससीसी 671:

22] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2009] 14 एस. सी. आर. 656; उर्वरक और रसायन

त्रावणकोर लिमिटेड बनाम. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य। (2009) 9 एससीसी 485:

[2009] 13 एस. सी. आर. 437-संदर्भित।

1.6 प्रत्यर्थी का निवेदन है कि चूंकि ई. एस. आई. अधिनियम के तहत दंडात्मक परिणाम प्रदान किए जाते हैं, इसलिए सख्त कार्रवाई की जाए।

प्रत्यर्थी के प्रतिष्ठान पर अधिनियम की प्रयोज्यता पर अधिसूचना की व्याख्या की जानी चाहिए। गाँव 'टी' के नाम का उल्लेख अधिसूचना में दो बार किया गया है और इसलिए प्रत्यर्थी की स्थापना को ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे में लाने के लिए एक तनावपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। उत्तरदाता के अनुरूप होने में विफलता ई. एस. आई. अधिनियम की आवश्यकता शायद कानून द्वारा परिकल्पित दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकती है। लेकिन यह अपने आप में प्रतिवादी के उद्देश्य के अनुरूप एक विशेष तरीके से वैधानिक अधिसूचना की व्याख्या करने के लिए राजी नहीं करता है। [पैरा 29] [858-डी-एफ]

1.7 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि चूंकि गांव तारापुर, जहां प्रतिवादी का कारखाना स्थित है, गिरता है।

स्वीकार कर लिया। अधिसूचना में "सम्मिलित" शब्द का उपयोग विस्तार के शब्द के रूप में किया जाता है, ताकि ई. एस. आई. अधिनियम के क्षेत्रीय अनुप्रयोग को व्यापक बनाया जा सके। अधिसूचना निश्चित रूप से सीमित नहीं है। "केवल सिलचर नगर निगम बोर्ड के तहत आने वाले क्षेत्र" के लिए, लेकिन इसमें सिलचर नगर निगम बोर्ड के तहत आने वाले क्षेत्रों के अलावा इसमें उल्लिखित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। मामला होने के कारण, प्रत्यर्थी का प्रतिष्ठान, ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे में आता है। [पैरा 30] [858-एफ-एच; 859-ए]

1.8 अधिसूचना की शर्तें कोई स्पष्ट नहीं हो सकती हैं और उपयोग की गई भाषा द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकार के किसी भी अपवाद को स्वीकार नहीं करती है उत्तरदाताओं। सिलचर नगर निगम बोर्ड की क्षेत्रीय सीमाओं से परे के क्षेत्रों का निश्चित और स्पष्ट संदर्भ है। इसके अलावा, जिस गाँव तारापुर में प्रतिवादी का कारखाना स्थित है, उसका दूसरी बार उल्लेख किया गया है। शब्द हैं।

उपयोग किए गए अधिशेष नहीं हैं और ड्राफ्टर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम और हमारे एम/एस की डी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. की जोरदार घोषणा करते हैं। लिमिटेड।

अधिसूचना और इस तरह ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे में व्यापक क्षेत्रों को शामिल करने का इरादा। अधिसूचना की सादा भाषा प्रत्यर्थी के खिलाफ मुद्दे का निपटारा करती है। इस प्रकार,

विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 31,32] [859-ए-सी]

क्यूबेक रेलवे, लाइट, हीट एंड पावर कंपनी। वंड्री

ए. आई. आर. 1920 पी. सी. 181; खेत्रबासी बिस्वाल बनाम। अजय कुमार

बराल और ओआरएस। (2004) 1 एससीसी 317: [2003] 6 पूरक।

राज्य बीमा निगम (2015) 1 एस. सी. सी. 142: [2014] 14 एस. सी. आर. 1082 निर्दिष्ट है।

मामला कानून संदर्भ

[1998] 1 एससीआर 85

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

(2021) 6 एस. सी. सी. 693

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1988] 2 पूरक। एससीआर 339

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2008] 2 एससीआर 468

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2014] 14 एससीआर 1082

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2009] 14 एससीआर 656

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[2009] 13 एससीआर 437

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[2003] 6 पूरक। एस. सी. आर 8

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 01.12.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2006 की नियमित प्रथम अपील सं. 82 में गुवाहाटी में असम सरकार की ओर से।

संतोष कृष्णन, याकेश आनंद, सुश्री सोनम आनंद, अधिवक्ता

अपीलार्थी।

पार्थिव के. गोस्वामी, राहुल प्रताप, अंकित अग्रवाल, प्रा

भारद्वाज, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

22] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री संतोष कृष्णन को सुना। प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व श्री पार्थिव के द्वारा किया जाता है।

गोस्वामी, विद्वान वकील।

3. इस अपील में चुनौती आर. एफ. ए. सं. 82/2006 में दिनांकित 1.12.2016 के निर्णय और आदेश को दी गई है, जिसके तहत गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने

प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार कर लिया है और कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों के पक्ष में पारित दिनांक 28.4.2006 के आदेश को रद्द कर दिया है। विवादित निर्णय के तहत, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ग्राम तारापुर, जहां प्रतिवादी का कारखाना स्थित है, सिलचर की नगरपालिका सीमा के बाहर आता है और इसलिए इसके अंतर्गत नहीं आता है

अपीलार्थियों द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.7.1999 (अनुलग्नक पी-I)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 की उप-धारा (3) के तहत (इसके बाद "ई. एस. आई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। उच्च न्यायालय के इस प्रभाव के अन्य निष्कर्ष कि प्रतिवादी द्वारा संचालित शीत भंडारण का व्यवसाय धारा 2 (14 एए) के तहत परिभाषित 'विनिर्माण प्रक्रिया' के अर्थ के भीतर आता है, को अपीलकर्ताओं द्वारा इस अपील में चुनौती नहीं दी गई है।

4. यहां तय किया जाने वाला मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय दिनांकित अधिसूचना की अपनी व्याख्या में सही था और यह अभिनिर्धारित करता है कि अधिसूचना केवल सिलचर नगर निगम बोर्ड के भीतर के क्षेत्रों को शामिल करती है, हालांकि अधिसूचना में तारापुर गांव सहित अन्य क्षेत्रों/गांवों के नामों का भी उल्लेख किया गया है, जहां प्रतिवादी का कारखाना स्थित है।

5. गाँव तारापुर को कई खंडों में विभाजित किया गया है और गाँव क्षेत्र का हिस्सा सिलचर नगर निगम के अंतर्गत आता है।

अन्य भाग, सिलचर राजस्व मंडल के भीतर। प्रतिवादी कंपनी

रामनगर, गाँव तारापुर में अपना शीत भंडारण कारखाना स्थापित किया।

6. 21.7.1999 पर, ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 1.8.1999 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया था जिस दिन ई. एस. आई. अधिनियम के कुछ प्रावधान असम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू होंगे, अर्थात्:

" सिलचर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, जिनमें राजस्व गांव-सिलचर शहर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और ओ. आर. एस. शामिल हैं, सिलचर राजस्व मंडल के अंतर्गत आते हैं।

वी. मेसर्स की डी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

अम्बिकापुर, उत्तर कृष्णपुर, कनकपुर, उकीलबाजार, तारापुर, रंगपुर, दुर्गानगर, गोसाईपुर, श्रीकोना, अंडर मौज़ा-बराकपुर, तारापुर, पी. एच.-बराकपुर, रंग पी. एच.-बराकपुर, ऊधरबोंड, राजनगर।

और यह कि ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधान अब अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर स्थित सभी कारखानों पर लागू किए गए हैं और इस तरह, रामनगर, ग्राम तारापुर में प्रतिवादी के कारखाने को ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा, जो 1.8.1999 से प्रभावी होगा। चूँकि प्रतिवादी लेने में विफल रहा ई. एस. आई. अधिनियम के तहत पंजीकरण और आवश्यक भुगतान के लिए आवश्यक कदम

कर्मचारियों के लिए उनके प्रतिष्ठान में योगदान, उत्तरदाता को महीनों के लिए योगदान भेजने के लिए एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था

अप्रैल से सितंबर, 2000, तदर्थ आधार पर। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा रुपये की वसूली के लिए एक नोटिस जारी किया गया। 17,068 से

उत्तरदाता।

8. इसके बाद प्रत्यर्थी ने कर्मचारी बीमा अदालत, गुवाहाटी (जिसे इसके बाद "ई. आई. अदालत" के रूप में संदर्भित किया गया है) का रुख किया ताकि कारण बताए जाने के नोटिस और योगदान की वसूली के लिए परिणामी कदमों को चुनौती दी जा सके। प्रत्यर्थी का कहना था कि जिस क्षेत्र में उनका कारखाना स्थित है, वह 21.7.1999 अधिसूचना के दायरे में नहीं आता है। ई. एस. आई. निगम के क्षेत्रीय निदेशक ने हालांकि तर्क दिया कि ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार करने वाली 21.7.1999 अधिसूचना में उस क्षेत्र को भी शामिल किया गया है जहां प्रतिवादी का कारखाना स्थित है। ई. आई. न्यायालय

गवाहों की गवाही और पक्षों द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि अधिसूचना तारापुर तक फैली हुई है और इसलिए, तारापुर में स्थित प्रतिवादी के कारखाने को ईएसआई अधिनियम के दायरे में लाया गया है। तदनुसार, प्रत्यर्थी को ई. एस. आई. अधिनियम के तहत योगदान करने की आवश्यकता होती है, और अधिकारियों ने इसके लिए देय योगदान की मात्रा का सही आकलन किया था।

प्रतिष्ठान में कर्मचारी।

9. ई. आई. न्यायालय के प्रासंगिक निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं: " ****

****

****

****

11. अधिसूचना विस्तार। 2 भारत सरकार द्वारा 21.7.99 पर जारी किए गए क्षेत्रों में सिलचर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं।

राजस्व गांव, सिलचर टाउन, अंबिकापुर, उत्तर कृष्णपुर, कनकपुर, उकील बाजार, [2022] 3 एस. सी. आर. सहित सिलचर राजस्व मंडल के भीतर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मौज़ा के अधीन तारापुर, रोंगपुर, दुर्गानगर, गोसाईपुर, श्रीकोना बोरकपुर, तारापुर आदि।

12. अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि लामारग्राम, रामनगर

तारापुर गाँव के भीतर तारापुर और तारापुर के बीच स्थित है।

श्रीकोना। तारापुर गाँवों में कई भाग गाँव शामिल हैं। क्षेत्र और लामारग्राम, रामनगर तारापुर गाँव में शामिल है।

अधिसूचना में तारापुर को समग्र रूप से शामिल किया गया है। यह

इसलिए, मैं उस एम/एस को मानता हूँ। के डी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड-द

याचिकाकर्ता को ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया था अधिसूचना विस्तार। 2 .

****

****

****

******

10. इसके बाद ई. एस. आई. की धारा 82 के तहत एक अपील दायर की गई।

ई. आई. के निर्णय को चुनौती देने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम

अदालत। आर. एफ. ए. 82/2006 में विद्वान न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए: कार्यवाही में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए:

" आई. क्या अपीलार्थी की स्थापना इसके अंतर्गत आती है

21 जुलाई, 1999 (Ext.2) की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित क्षेत्र?

11. विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि

प्रत्यर्थी की स्थापना 21.7.1999 अधिसूचना द्वारा कवर नहीं की गई है।

और आर. एफ. ए. को तदनुसार निर्णय को दरकिनार करके अनुमति दी गई थी।

ई. आई. न्यायालय का दिनांक <आई. डी. 1. महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना

नं. (i), न्यायालय ने राय दी कि "केवल सिलचर नगर निगम के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र।

और इसलिए, केवल सिलचर राजस्व के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र वृत्त, जिसमें उसमें उल्लिखित क्षेत्र शामिल हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं

सिलचर नगर निगम बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को दिनांकित 21.7.1999 अधिसूचना द्वारा कवर किया जा सकता है।

12.1 उपरोक्त का आरोप लगाते हुए, विद्वान श्री संतोष कृष्णन

अपीलार्थियों के वकील का तर्क होगा कि 21.7.1999 अधिसूचना

यह निर्धारित करते हुए कि यह सिलचर नगर निगम के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होता है

निगम विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों/गाँवों के नाम भी देता है।

गाँव तारापुर कई हिस्सों से बना है और पारा लामार में है। तारापुर भाग III का ग्राम, प्रत्यर्थी का शीत कारखाने का भंडारण है

स्थित है। तारापुर गाँव आंशिक रूप से सिलचर नगर निगम के अंतर्गत आता है।

निगम और सिलचर राजस्व मंडल के तहत भी और गाँव के बाद से

अधिसूचना में दो बार नाम का उल्लेख किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और ओआरएस का पूरा गाँव क्षेत्र।

वी. मेसर्स की डी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

तारापुर को दिनांकित 21.7.1999 अधिसूचना द्वारा कवर किया जाएगा। विद्वान वकील श्री संतोष कृष्णन के अनुसार, 21.7.1999 अधिसूचना द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों की सही समझ पर, जिस क्षेत्र में शीत भंडारण कारखाना स्थित है, उसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 5.7.2004 (अतिरिक्त) प्रमाण पत्र पर भरोसा करके बाहर नहीं किया जा सकता था। 16), जिसने प्रमाणित किया था कि रामनगर में प्रतिवादी का कारखाना,

तारापुर सिलचर नगर निगम बोर्ड की सीमा के बाहर स्थित है।

12.2 चूंकि प्रत्यर्थी ने ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 (3) के तहत जारी अधिसूचना को चुनौती नहीं दी है, इसलिए उच्च न्यायालय, अपीलार्थियों के अनुसार, अधिसूचना की प्रतिबंधात्मक व्याख्या देने में त्रुटि में पड़ गया।

12.3 अपीलार्थी के वकील के अनुसार, रामनगर, तारापुर के क्षेत्रों को 21.7.1999 अधिसूचना के दायरे से बाहर रखने के दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि क्षेत्र के अन्य लोग तब दावा करेंगे कि वे कवरेज के दायरे से बाहर हैं। ई. एस. आई. अधिनियम के तहत, और इसके परिणामस्वरूप ई. एस. आई. अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों के लिए हानिकारक होगा।

12.4 अपीलकर्ताओं का यह भी तर्क है कि ई. आई. न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में, प्रतिवादी को कारखाने के श्रमिकों को शामिल करना चाहिए था और भारत संघ भी, इन आवश्यक लोगों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए

हितधारक और चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए प्रत्यर्थी के पक्ष में निष्कर्ष एक शून्य है और इसे तदनुसार समझा जाना चाहिए।

13.1 इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री पार्थिव के. गोस्वामी इंगित करेंगे कि प्रत्यर्थी का कारखाना ऐसा करता है।

यह सिलचर नगर निगम और सिलचर राजस्व मंडल की सीमा में नहीं आता है, बल्कि रामनगर तारापुर ग्राम में स्थित है।

पंचायत, और इसलिए यह दिनांकित 21.7.1999 अधिसूचना के संदर्भ में ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे से बाहर है।

13.2 विद्वान वकील श्री गोस्वामी के अनुसार, चूंकि सिलचर नगर निगम बोर्ड के प्राधिकरण ने प्रमाण पत्र जारी किया था 5.7.2004 (एक्स. 16) यह प्रमाणित करते हुए कि रामनगर तारापुर में प्रत्यर्थी का शीत भंडारण कारखाना नगरपालिका सीमा के बाहर है, ई. एस. आई. अधिनियम के तहत उक्त कारखाने का कवरेज आवश्यक नहीं है।

13.3 ई. एस. आई. अधिनियम के तहत दंडात्मक निहितार्थ की ओर इशारा करते हुए, श्री गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं कि अधिसूचना की विस्तारित व्याख्या आवश्यक नहीं है और उच्च न्यायालय, विद्वान वकील, [2022] 3 एस. सी. आर. के अनुसार।

प्रत्यर्थी के पक्ष में दिनांकित 21.7.1999 अधिसूचना की सही व्याख्या की है। 14. इस स्तर पर, प्रत्यर्थी के प्रतिष्ठान के स्थान की पहचान करना उचित होगा। सिलचर के उप-प्रभागों में से एक है

तारापुर और तारापुर भाग VIII "बी" शहर खंड बराकपुर परगना के भीतर स्थित हैं। प्रतिवादी का शीत भंडारण कारखाना तारापुर III, लामार ग्राम, रामनगर में स्थित है और यह खंड सिलचर नगर निगम की सीमा से बाहर है। केवल तारापुर भाग VII और तारापुर भाग VIII खंड आंशिक रूप से सिलचर नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। निगम क्षेत्र। इसलिए यह सराहना की जा सकती है कि गाँव तारापुर का एक हिस्सा सिलचर नगर निगम की सीमा के भीतर आता है और उसी गाँव का दूसरा हिस्सा सिलचर राजस्व मंडल के भीतर आता है।

15. केंद्र सरकार द्वारा जारी 21.7.1999 अधिसूचना उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है जिन पर ई. एस. आई. अधिनियम लागू किया गया है और

उल्लेखनीय रूप से, यह कहने के अलावा कि यह सिलचर नगर निगम के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होता है, यह विशेष रूप से तारापुर गांव सहित अतिरिक्त क्षेत्रों/गांवों के नाम देता है। इसलिए यह मुश्किल नहीं है

यह समझें कि अधिसूचना का विस्तार सिलचर नगर निगम की सीमा से परे के क्षेत्रों में होगा। यदि ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे का क्षेत्र प्रतिबंधात्मक होना था, तो उक्त अधिसूचना में अन्य क्षेत्रों के नाम का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। तब तार्किक व्याख्या यह होगी कि तारापुर के पूरे गाँव क्षेत्र को कवरेज के लिए अधिसूचित किया जाता है क्योंकि तारापुर गाँव का नाम दो बार उल्लेख किया गया है।

अधिसूचना। इसके महत्व को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। 16. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 (3) के तहत जारी अधिसूचना एक वैधानिक अधिसूचना है और इसे इसके एक हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए।

कानून, निर्माण के उद्देश्यों के लिए और उससे उत्पन्न होने वाले दायित्वों के लिए भी, जैसे कि वे अधिनियम में निहित हैं। अधीनस्थ विधान की व्याख्या के सिद्धांत ऐसी वैधानिक अधिसूचना की व्याख्या के लिए लागू होते हैं। यदि उपयोग किए गए शब्द असंदिग्ध हैं, तो व्याख्या का मुख्य सिद्धांत यह है कि विषय अधिसूचना में प्रत्येक शब्द को प्रभाव देना होगा। [देखिए। दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी कर्मचारी संघ, सिकंदराबाद बनाम.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम और ओआरएस। वी. मेसर्स की डी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

सहकारी समितियों और अन्य के पंजीयक और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम पंडारिनाथन गोविंदराजुलु और Anr.[2]

17. उपरोक्त द्वारा निर्देशित, आइए अब हम जांच करें कि क्या वैधानिक अधिसूचना का उद्देश्य केवल उन क्षेत्रों को शामिल करना था जो इसके अंतर्गत आते हैं।

सिलचर नगरपालिका बोर्ड की अधिकारिता जैसा कि विवादित निर्णय में तय किया गया था। इस तरह की व्याख्या का मतलब यह होगा कि अधिसूचना में विशेष रूप से उल्लिखित अन्य सभी क्षेत्र, जो अन्यथा सिलचर नगर निगम की सीमाओं से परे हैं, को वैधानिक अधिसूचना के दायरे से बाहर रखा जाएगा। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो अधिसूचना के प्रत्येक शब्द को पूर्ण प्रभाव देने के व्याख्या के मूल सिद्धांत से विचलन होगा। यह तब दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी कर्मचारी संघ के मामले सहित इस न्यायालय द्वारा बार-बार निर्धारित किए गए निर्णय के विपरीत होगा।

(ऊपर) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (ऊपर)। 18. केंद्र सरकार की अधिसूचना में सिलचर नगर निगम बोर्ड की सीमा से परे कई क्षेत्रों का संदर्भ दिया गया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि तारापुर का संदर्भ दो बार दिया गया है, पहला सिलचर नगर निगम के संदर्भ में और दूसरा

मौज़ा-बराकपुर का संदर्भ। उधारबोंड राजस्व सर्कल (सिलचर नगर निगम की सीमा के बाहर) और इसी तरह रामनगर, जो कि एक अन्य राजस्व इकाई है, जो बराकपुर (जिसमें सिलचर शहर शामिल है) से अलग है, के संदर्भ से पता चलता है कि केंद्र सरकार ई. एस. आई. अधिनियम के संचालन का विस्तार सिलचर नगर निगम की सीमा से परे के क्षेत्रों में करने का इरादा रखती है। संबंधित प्रतिष्ठान बराकपुर के भीतर आने वाले तारापुर भाग III में स्थित है, जो अन्यथा सिलचर नगर क्षेत्र के बाहर है। उल्लेखनीय है कि अधिसूचना में मौज़ा-बराकपुर नाम का उल्लेख किया गया है। इसलिए, सिलचर नगर निगम की सीमा के भीतर छोटे क्षेत्रों में ई. एस. आई. अधिनियम को लागू करने के लिए 21.7.1999 अधिसूचना की उच्च न्यायालय की संकुचित व्याख्या को हम स्वीकार नहीं कर सकते।

19. इसके अलावा, जिस अधिसूचना का स्पष्ट रूप से बेहतर मसौदा तैयार किया जा सकता था, वह कई अल्पविराम द्वारा विरामित है। यह सुझाव देता है

कि विराम चिह्नों के बाद उल्लिखित क्षेत्रों को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए और सिलचर नगर निगम के संदर्भ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए जो अधिसूचना में उल्लिखित पहला क्षेत्र है। यहाँ

डॉ. एम. के. साल्पेकर बनाम सुनील कुमार का उल्लेख करने से हमें लाभ हो सकता है।

1 (1998) 2 एससीसी 580

2 2 (2021) 6 एससीसी 693 [2022] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस मामले में शमसुंदर चौधरी और जस्टिस एल. एम. शर्मा

डिवीजन बेंच के लिए लिखते हुए, विराम चिह्न के उपयोग की ओर इशारा करते हुए, राय दी कि उपखंड में "वैकल्पिक समायोजन" के बाद और शेष वाक्य से पहले "विराम चिह्न अल्पविराम" इंगित करता है कि उपखंड का अंतिम भाग, अर्थात्, "और जिसे सदन की यथोचित आवश्यकता नहीं है" उपखंड के केवल दूसरे भाग को नियंत्रित करता है। जब हम दिनांकित अधिसूचना में विराम चिह्नों को देखते हैं

20. ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां रमनलाल भाईलाल पटेल में "शामिल" शब्द के उपयोग पर व्याख्या की जानी थी और ओआरएस। बनाम। डिवीजन बेंच की ओर से बोलते हुए गुजरात राज्य के न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन ने निम्नलिखित कहाः

" 23. "व्यक्ति" शब्द को अधिनियम में परिभाषित किया गया है, लेकिन यह एक समावेशी परिभाषा है, अर्थात "एक व्यक्ति में एक संयुक्त परिवार शामिल है"। जहाँ परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है, वहाँ "शामिल" शब्द का उपयोग क़ानून में उपयोग किए गए शब्द के अर्थ को बढ़ाने के इरादे को इंगित करता है। नतीजतन, शब्द का अर्थ न केवल ऐसी चीजों को समझने के रूप में किया जाना चाहिए जिन्हें वे अपने प्राकृतिक महत्व के अनुसार दर्शाते हैं, बल्कि उन चीजों को भी जिन्हें व्याख्या खंड घोषित करता है कि वे शामिल करेंगे। इस प्रकार, जहां एक परिभाषा "शामिल" शब्द का उपयोग करती है, जैसा कि "अर्थ" से विपरीत है, परिभाषित शब्द न केवल अपने सामान्य, लोकप्रिय और प्राकृतिक अर्थ रखता है, बल्कि इसके अलावा विस्तारित वैधानिक अर्थ भी रखता है (एस. के. देखें।

गुप्ता बनाम। के. पी. जैन [(1979) 3 एससीसी 54: ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 734] दिलवर्थ बनाम। कॉम. डाक टिकटों का [1899 एसी 99: (1895

3 3 (1988) 4 एस. सी. सी. 21 4 (2008) 5 एस. सी. सी. 449 कर्मचारी राज्य बीमा निगम और ओ. आर. एस. वी. मेसर्स की डी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

99) सभी ई. आर. प्रतिनिधि विस्तार 1576: 79 एल. टी. 473] और जॉबिन्स बनाम। मिडिलसेक्स कंट्री काउंसिल [(1949) 1 KB 142: (1948) 2 सभी ईआर 610 (सीए)])। ”

21. इस स्तर पर, न्यायमूर्ति जी. बी. पटनायक द्वारा संविधान पीठ के लिए लिखी गई राय को संघ में संदर्भित करना भी उचित होगा।

भारत और एन. आर. बनाम हंसोली देवी और Ors.5, जहाँ यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि "किसी कानून में शब्दों को अनुचित अधिशेष के रूप में दरकिनार करना निर्माण का एक ठोस सिद्धांत नहीं है, यदि वे परिस्थितियों में उचित अनुप्रयोग कर सकते हैं जो कल्पना की जा सकती है।

कानून का चिंतन "। यह याद रखना चाहिए कि "विधायिका को अपने शब्दों को बर्बाद करने या कुछ भी कहने के लिए नहीं माना जाता है। "व्यर्थ" और एक ऐसा निर्माण जो किसी क़ानून के लिए अतिरेक को बाध्यकारी परिस्थितियों के अलावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

22. उपरोक्त समझ के साथ आगे बढ़ते हुए, आइए अब हम विवादित निर्णय की जांच करें। उच्च न्यायालय ने आवेदन को प्रतिबंधित कर दिया है

सिलचर नगर निगम की सीमाओं के लिए वैधानिक अधिसूचना, जिसका अर्थ होगा कि "सहित" से परे उल्लिखित अन्य सभी क्षेत्र

ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की यह मंशा नहीं हो सकती थी।

23. दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड बनाम कर्मचारी मामले में यह अदालत

'राज्य बीमा निगम' ने न्यायमूर्ति आर. भानुमति की राय के माध्यम से कहा कि ई. एस. आई. अधिनियम का उद्देश्य कर्मचारियों को लाभ प्रदान करना और उनके संबंध में कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान करना भी है। चूंकि ई. एस. आई. अधिनियम समाज कल्याण का एक लाभकारी अंग है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भाखड़ा ब्यास 5 (2002) 7 एस. सी. सी. 273 6 क्यूबेक रेलवे, लाइट, हीट एंड पावर कंपनी वी. वैंड्री, ए. आई. आर. 1920 पी. सी. 181 7 (2015) 1 एस. सी. सी. 142 [2022] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ईमेंट बोर्ड और Anr.8 और उर्वरक और रसायनअयस्क लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा

टियन और ओआरएस। ' खेल में आएगा।

5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ऊपर) में

संबंधित प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को फंसाने का

ई. एस. आई. अधिनियम के तहत ईडिंग पर इस अदालत द्वारा जोर दिया गया था

गोपिनीयनः

. इस न्यायालय ने हाल ही में उर्वरक और रसायन मामले में फैसला सुनाया है

अवांकोर लिमिटेड बनाम। ई. एस. आई. निगम। [(2009) 9 एससीसी 485: (2009) 2

सीसी (एल एंड एस) 693: (2009) 11 स्केल 766] निम्नानुसार हैः (एससीसी पीपी। 487

8 , पैरा 5-10)

" 5. यह ध्यान दिया जा सकता है कि कर्मचारियों के समक्ष अपनी याचिका में

बीमा न्यायालय, यहाँ अपीलार्थी ने केवल

कर्मचारी राज्य बीमा निगम और जिला अलेप्पी, पालाघाट और कन्नौर के कलेक्टर

उत्तरदाताओं ने लेकिन एक भी कर्मचारी को शामिल नहीं किया उत्तरदाता। श्रम कानून के लाभ के लिए हैं

मजदूर। इसलिए, आम तौर पर श्रम कानूनों के तहत सभी मामलों में

क्षमता, या कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाला ट्रेड यूनियन संबंधित को एक पक्ष बनाया जाना चाहिए। इसलिए, हमारी राय में

कम से कम कुछ संबंधित व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए था, उत्तरदाताओं के रूप में।

****

***

*

****

****

***

*

****

****

****

8. हमारी राय में, जहाँ भी किसी नियोक्ता द्वारा कोई याचिका दायर की जाती है

अधिनियम की धारा 75 के तहत, नियोक्ता को न केवल अभियोग दायर करना है ई. एस. आई. सी. को कम से कम कुछ श्रमिकों को भी शामिल करना है

संबंधित (एक प्रतिनिधि क्षमता में यदि एक बड़ा है श्रमिकों की संख्या) या उक्त का प्रतिनिधित्व करने वाला ट्रेड यूनियन

कर्मचारी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, और इसके पक्ष में निर्णय दिया जाता है

नियोक्ता, वही प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करेगा

न्याय। आखिरकार, वास्तविक पक्ष श्रम मामलों में चिंतित हैं

ओ एस. सी. सी. 671 एस. सी. सी. 485 कर्मचारी राज्य बीमा निगम और ओ. आर. एस. वी. मेसर्स की डी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

किसी भी तरह से प्रभावित अगर इसके तहत भेजा गया मांग नोटिस धारा 45-ए/45-बी को निरस्त कर दिया गया है।

26. इसी तरह उर्वरक और रसायन त्रावणकोर में यह अदालत

लिमिटेड (ऊपर) ने कर्मचारियों के दलाली पर निम्नलिखित प्रासंगिक अवलोकन कियाः

" 10. वर्तमान मामले में संबंधित श्रमिकों को नहीं बनाया गया था

कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को, न ही नोटिस दिया गया था

उद्धृत किया है, कोई उचित दृढ़ संकल्प के रूप में बहुत खुश नहीं है इसमें इस बारे में बताया गया है कि क्या संबंधित श्रमिक

क्या अपीलार्थी के कर्मचारी हैं और क्या वे इसके हकदार हैं

अधिनियम के लाभ के लिए।

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

12. हमारी राय में, कर्मचारी बीमा न्यायालय को होना चाहिए

स्वयं साक्ष्य प्राप्त करने के बाद तथ्यों की उचित जांच की।

संबंधित श्रमिकों सहित पक्षों से, और उसके बाद

याचिका में उन्हें पक्षकार के रूप में शामिल करते हुए, यह निर्धारित किया जाना चाहिए था

सवाल यह है कि क्या संबंधित व्यक्ति थे

अपीलार्थी के कर्मचारी या नहीं।

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

14. कहने की जरूरत नहीं है, कर्मचारी बीमा न्यायालय अनुदान देगा

कथित कामगारों सहित सभी पक्षों के लिए एक अवसर

दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य और उसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ें। हम यह स्पष्ट करते हैं कि कुछ भी नहीं

ऊपर उल्लिखित राय की अभिव्यक्ति के रूप में समझा जाएगा।

विवाद के गुण-दोष पर। कानून के सभी सवाल

और तथ्यों को पार्टियों के सामने उठाए जाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है

बीमा न्यायालय "।

27. उपरोक्त निर्णयों से पता चलता है कि आवश्यक नहीं होने पर

पक्षकार, प्रत्यर्थी के कहने पर कार्यवाही कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं होगी। इस तरह की याचिका विशेष रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई थी, लेकिन इसे इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया था कि इस मुद्दे को निचली अदालत के समक्ष उठाया जाना चाहिए था। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय अर्थात

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ऊपर) को प्रदान किया गया था

17.9.2009 जबकि अपीलार्थियों के पक्ष में निर्णय ई. आई. न्यायालय द्वारा बहुत पहले 21.6.2006 पर दिया गया था। इसलिए, अपीलार्थियों के लिए, संबंधित कर्मचारियों के गैर-पक्षपाती होने के लिए, प्रत्यर्थी की कार्यवाही की गैर-स्थिरता पर बहस करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के बाद के फैसले में अनुपात पर भरोसा करना असंभव होता।

28. किसी भी मामले में, एक आवश्यक पक्ष का गैर-सहयोगी मामले की जड़ तक जाता है और कानूनी कार्यवाही के लिए घातक भी हो सकता है। इसके लिए हम

खेत्रबासी बिस्वाल बनाम अजय कुमार बराल और Ors.¹0 में इस अदालत की राय को उपयोगी रूप से पढ़ा जा सकता है जहां इसे निम्नानुसार माना गया थाः

" 6. प्रक्रियात्मक कानून के साथ-साथ मूल कानून दोनों आदेश देता है कि एक आवश्यक पक्ष की अनुपस्थिति में, आदेश पारित किया गया

यह एक शून्यता है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है।

ई. एस. आई. अधिनियम के तहत परिणाम प्रदान किए जाते हैं, इसकी सख्त व्याख्या प्रत्यर्थी के प्रतिष्ठान पर अधिनियम की प्रयोज्यता पर अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। इस पहलू पर, यह कहने की आवश्यकता है कि गाँव तारापुर का नाम 21.7.1999 अधिसूचना में दो बार उल्लेख किया गया है।

और इसलिए एक तनावपूर्ण व्याख्या लाने के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है

ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे के भीतर प्रत्यर्थी की स्थापना। ई. एस. आई. अधिनियम की आवश्यकता के अनुरूप होने में प्रतिवादी की विफलता शायद कानून द्वारा परिकल्पित दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकती है। लेकिन यह अपने आप में हमें प्रतिवादी के उद्देश्य के अनुरूप एक विशेष तरीके से वैधानिक अधिसूचना की व्याख्या करने के लिए राजी नहीं करता है। 30. जैसा कि हम पाते हैं, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि चूंकि ग्राम तारापुर, जहां प्रत्यर्थी का कारखाना स्थित है, सिलचर की नगरपालिका सीमाओं के बाहर आता है, इसलिए प्रत्यर्थी की स्थापना अधिसूचना (21.07.1999) के दायरे में नहीं आती है। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई ऐसी दोषपूर्ण व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना में "सम्मिलित" शब्द का उपयोग विस्तार के शब्द के रूप में किया जाता है, ताकि ई. एस. आई. अधिनियम के क्षेत्रीय अनुप्रयोग को व्यापक बनाया जा सके। यह अधिसूचना निश्चित रूप से "केवल सिलचर नगर निगम बोर्ड के तहत आने वाले क्षेत्र" तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों के अलावा इसमें उल्लिखित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

10 (2004) 1 एससीसी 317 कर्मचारी राज्य बीमा निगम और ओआरएस। वी. मेसर्स की डी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

सिलचर नगर निगम बोर्ड। मामला होने के कारण, प्रत्यर्थी का प्रतिष्ठान, ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे में आता है।

31. अधिसूचना की शर्तें इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती हैं और उपयोग की गई भाषा उत्तरदाताओं द्वारा तर्क दिए गए प्रकार के किसी भी अपवाद को स्वीकार नहीं करती है। इससे परे के क्षेत्रों के लिए निश्चित और स्पष्ट संदर्भ है

सिलचर नगर निगम बोर्ड की क्षेत्रीय सीमाएँ। इसके अलावा, गांव तारापुर (जहां प्रतिवादी का कारखाना स्थित है) का दूसरी बार उल्लेख किया गया है। उपयोग किए गए शब्द अधिशेष नहीं हैं और जोरदार हैं। अधिसूचना और इस तरह ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे में व्यापक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए प्रारूपक के इरादे की घोषणा करें। अधिसूचना की सादा भाषा प्रतिवादी के खिलाफ मुद्दे को सुलझा लेती है।

32. परिणामस्वरूप विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है। तदनुसार अपील की अनुमति लागत पर किसी भी आदेश के बिना दी जाती है।

अपील की अनुमति दी _

निधि जैन

(तमन्ना, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)